संख्या-30/2015/~~86~~/नौ.-9-15-94ज/14
633

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2016

विषय: स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वितरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-क.नि.-5-1149/11-2013-312(268)/2001, दिनांक 13.09.2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगरीय निकायों को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 5,01,00,00,000.00 (रूपये पांच अरब एक करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक/पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-क.नि.-5-138/11-5-2015-312(268)/2001, दिनांक 27.01.2015 में यह व्यवस्था दी गयी है कि शासनादेश संख्या-क.नि.-5-1149/11-2013-312(268)/2001, दिनांक 13.09.13 की व्यवस्था के अनुसार 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग के अनुदान में करायी जायेगी तथा उक्त विभाग अपने स्तर से आवश्यक विवरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्राप्त करके संस्थाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेगे। उक्त शासनादेश में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान/वितरण हेतु महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्राविधान नही है। अतः कर एवं निबन्धन विभाग के उक्त शासनादेश के अनुसार 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान/वितरण

go

हेतु महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सम्बन्धित निकाय जनपद के कर निबन्धन विभाग से निकाय को देय 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की देयता का विवरण प्राप्त करके सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध करायेगे। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उक्त विवरण/प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्ताव के अनुसार ही सम्बन्धित निकाय को उतनी ही धनराशि स्वीकृत करते हुए तत्सममबन्धी बजट आवंटन किया जायेगा। बजट आवंटन के सापेक्ष धनराशि का आहरण सम्बन्धित निकाय द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए जनपद कोषागार से स्थानीय निकाय स्तर पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास आयोजनेत्तर-80-सामान्य -800-अन्य व्यय -08-राज्य सरकार द्वारा 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगरीय निकायों को अन्तरण -42-अन्य वयय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महानिरीक्षक, निबन्ध उ0प्र0 लखनऊ।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

7- मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन लखनऊ।

8- निदेशक, सूचना एवं जन सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिष्द/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

11- गार्ड फाइल।

12- वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सुधीर सिह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go